

**East Central Railway/Sonpur Division Hospital
Medical Department/Sonpur**

No. H/180/Med /Impnl/Local purchase/DS/SEE

Date : 03 - 03-22

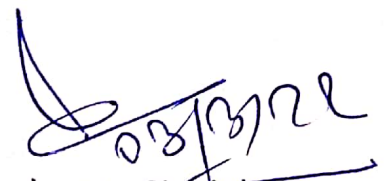
Application with full requisite in sealed envelope is invited by Chief Medical Superintendent , Medical department/Sonpur for and behalf of the president of India for the execution of the following work .

Name of work : Supply of medicines , surgical and consumable items required by Sonpur divisional Railway Hospital under retail local purchase for the period of two (02) years i.e 2022-23 and 2023-24 from medical shops/suppliers/vendors/firms of Sonpur (preferably situated in the vicinity of Sonpur Divisional Railway Hospital)

Scope of work :

1. Supply of Medicines , surgical and consumables items as indented by Drug store Incharge/Competent authority of Sonpur divisional Railway Hospital under day to day need basis .
2. Supply of aforementioned items with promptness is atmost requirement , so that railway beneficiaries get the best treatment facility.
3. Eligibility criteria , performa and other details are available on the website (www.ecr.indianrailways.gov.in)

The interested suppliers/vendors/firms fulfilling the above criteria should apply to the Chief Medical Superintendent , East Central Railways , Sonpur . Post office – Sonpur , Dist Saran , Pin code -841101 . The last date for apply an application is 21 days after the publication of this advertisement .


(Dr.Vijay kumar Singh)
ADMO/Drug store/SEE
For Chief Medical Superintendent
East Central Railway , Sonpur

पूर्व मध्य रेल/सोनपुर मंडल चिकित्सालय

चिकित्सा विभाग/सोनपुर

No. H/180/Med /Impnl/Local purchase/DS/SEE

Date : 03 - 03-22

निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , चिकित्सा विभाग / सोनपुर द्वारा सीलबंद लिफाफे में पूर्ण अपेक्षित आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

काम का नाम : सोनपुर मंडल रेलवे अस्पताल द्वारा दवाओं की आपूर्ति , सर्जिकल और उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति दो (02) वर्ष अर्थात 2022-23 और 2023-24 के लिए मेडिकल दुकानों आपूर्तिकर्ताओं / वेडरों / सोनपुर के लिए खुदरा स्थानीय खरीद के तहत । सोनपुर मंडल रेलवे अस्पताल के आसपास के क्षेत्र में स्थित होना चाहिए ।

काम का कार्य क्षेत्र :-

1. सोनपुर मंडल रेलवे अस्पताल के ड्रग स्टोर इंचार्ज , सक्षम अधिकारी द्वारा मॉग पत्र के रूप में मेडिसिन , सर्जिकल और उपभोग्य वस्तुओं की आपूर्ति दिन.प्रतिदिन की जरूरत के आधार पर।
2. शीघ्रता के साथ उपर्युक्त वस्तुओं की आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है, ताकि रेलवे लाभार्थियों को सर्वोत्तम उपचार सुविधा प्राप्त हो।
3. पात्रता मानदंड, और अन्य विवरण वेबसाइट (www.ecr.indianrailways.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं/फर्मों को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक , पूर्व मध्य रेलवे, सोनपुर, में आवेदन करना होगा । पता :- डाकघर - सोनपुर, जिला - सारन , पिन कोड .841101 । इस विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से 21 दिन में आवेदन करने का अंतिम दिन है ।

(डा० विजय कुमार सिंह)
सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी
कृते मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पूर्व मध्य रेल / सोनपुर

East Central Railway
Medical Department, Sonpur

No.H/Medical/Local Purchase/Sonpur Div.Rly Hospital

Date: 03-03-22

Applications in sealed envelope are invited from suitable vendor/suppliers/firms for supply of medicines, surgical and consumable items under retail local purchase for Divisional Railway Hospital/ECR/Sonpur in terms of PCMD/HJP's letter no.ECR/Med/RMC/Rly.Board. dated 07.02.2020.

The supplier/vendor/firm should have the following minimum eligibility criteria for consideration of their request to supply the medicine, surgical & consumable items for the period of two (02) years.

(1).The supplier/vendor/firms retails outlet should be located in Sonpur, preferably in the vicinity of Div.Rly. Hospital, Sonpur.

MRP (Separately for medicines, surgical

and consumables).The vendor who offers maximum discount, will be awarded the contract for supply of aforementioned items for the period of two years.

The following services are required to fulfill by the supplier/vendor/firm with following modalities:-

1. After receiving the order by any means i.e physical handover/fax/email/electronic media or platform, the supplier has to supply the medicine on same day/earliest as possible depending on the time of receiving or nature of gravity of medicine.
2. The vendors should supply the same name and composition as per indented order. No alternate or substitute medicine will be allowed without the permission of CMS.
3. Any flaw in delivered item or failure of supply will be dealt as per Railway Board letter no.2014/RS(g)/79/13 dated 04/06/2018
4. The sufficient stock should be maintained so that the promptness of supply is ensured. The working services required is on the basis of 24 x 7.

The interested suppliers/vendors/firms fulfilling the above criteria should apply to the Chief Medical Superintendent, East Central Railway, Sonpur, Post office-Sonpur Dist. Saran, Pin code-841101 with full description of the their institution as asked above for the purpose of short listing and empanelment of supplying the medicine , surgical ,consumable items to Divisional Rly.hospital , Sonpur in 21 days from the date of advertisement .

For more information and downloading the performa may kindly visit on <http://www.ecr.indianrailways.gov.in>

In view of above facts , please approve above draft .

08/3/22
ADMO/DS/SEE

**पूर्व मध्य रेल
स्वास्थ्य विभाग / सोनपुर**

संख्या: H/180/Med /Impnl/Local purchase/DS/SEE

दि: 03-03-2022

मुख्य चिकित्सा निदेशक, हाजीपुर के पत्र सं० ECR/Med/RMC/Rly.Board. dated 07.02.2020. के आलोक में सोनपुर मंडल चिकित्सालय में दवाओं, सर्जिकल और Consumable सामग्री के खुदरा खरीद हेतु सुयोग्य Vender/Supplier से मुहरबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जो कि दो (2) वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए मान्य होगी।

आवेदन करने वाले Vender/Supplier के पास निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए, जिसके पश्चात उनके सूचीबद्ध (Empanelment) होने की पात्रता पर विचार किया जाएगा :-

1. Supplier/Vender/Firms को सोनपुर में अवस्थित होना चाहिए, प्राथमिकता का अवसर उन्हें मिलेगा जो सोनपुर मंडल चिकित्सालय के आसपास हो।
2. Supplier/Vender/Firms के पास तकनीकी कानूनी एवं वित्तीय योग्यता होनी चाहिए।
 - Technical (तकनीकी) सक्षम, योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति यानि फार्मासिस्ट हो।
 - कानूनी (Legal) योग्यता प्रोप्राइटर के वैध Drug license, Pan और GST No.
 - वित्तीय (financial) योग्यता - CA द्वारा जारी विगत तीन वर्षों का कारोबार का टर्न ओवर का सत्यापित पत्र / ITR दस्तावेज (तीन वर्ष)
 - Performance certificate जहाँ विगत तीन वर्षों से Supplier/Vender/Firms कार्य कर रहा हो अथवा कार्य कर चुका हो।
 - मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को संबंधित पंजीकरण करने के लिए आवेदन जिसका विषय और संबंध दवा सर्जिकल और consumable items (Lab, x-ray, items) से हो।
 - आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/फर्मों को MRP (Medicines, Surgical and Consumables अलग से) पर छुट की पेशकश करनी होगी जो विक्रेता अधिकतम छुट प्रदान करता है, उसके लिए उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति करने हेतु दो वर्षों के लिए अनुबंध से सम्मानित किया जाएगा।

Empanelment (सूचीबद्ध) Supplier/Vender/Firms से कार्य के निम्नलिखित तौर तरीके और services अपेक्षित है।

1. दवा खरीद का आदेश प्राप्त होने के बाद जिसका माध्यम physical handover या Fax/Email या electronic media platform हो, दवा की सप्लाई तत्काल प्रभाव से उसी दिन या जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय। दवा और बिमारी की प्रकृति के साथ आदेश देने का समय प्रमुख्यता रखेंगे।
2. Supplier/Vender दवा indent order के अनुसार ही सप्लाई करेंगे (same composition or name) किसी प्रकार का बदलाव मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की सहमति के बगैर मान्य नहीं होगा।
3. किसी प्रकार की कमी या निम्न/अवमानक quality, आपूर्ति में विलम्ब पर सख्त कारवाई की जायेगी जो की रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: 2014/RS(GY79/13 Dt. 04/06/2018 के आलोक में होगी।
4. आपूर्ति की शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टॉक को बनाए रखा जाना चाहिए। आवश्यक कार्यशील सेवाएँ 24 x 7 के अघार पर हैं।

वैसे Supplier/Vender/Firms जो अपना नाम मंडल रेल चिकित्सालय सोनपुर में empanel (सूचीबद्ध) करवाना चाहते हों और जो उपर लिखित पात्रता की शर्तों को पुरा करते हैं वे इस विज्ञापन के 21 दिनों के अन्दर अपना आवेदन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पूर्व मध्य रेल सोनपुर, पोस्ट- सोनपुर, जिला - सारण, पीन कोड - 841101 पर भेज सकते हैं।

विस्तृत विवरण के लिए website (वेबसाइट) पर विवरण वर्णीत है - www.ecr.indianrailways.gov.in

नोट :- 1. यदि इस विज्ञापन के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण में कोई अन्तर पाया जाता है तो अंग्रेजी भाषा का संस्करण ही मान्य होगा।

2. रेलवे किसी भी समय या प्रक्रिया के किसी भी चरण के आंशिक या पूर्ण भाग को समाप्त/रद करने के सभी अधिकार सुरक्षित रखता है तथा इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(Dr. Vijay kumar Singh)

ADMO/Drug store/SEE

For Chief Medical Superintendent
East Central Railway, Sonpur